कार्यालय नगर निगम, गोरखपुर

पत्रांक 04/न0आ0/ला0वि0/ 2021–2022 दिनांक 28 मई, 2021

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–2 सन् 1959) की धारा 437,438 (1), 438 घ (2), 541,542, एवं 543 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादो की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541 (20) के अर्न्तगत उपविधि 2018 का पाडुलेख तैयार कर धारा 542 के अर्न्तगत मा0 सदन की बैठक दिनांक 07.10.2020 में प्रस्तुत किया गया। मा0 सदन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त उपविधि 2020 पर अपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर लाइसेन्स विभाग नगर निगम में आपत्तियाँ प्राप्त करायी जा सकती है। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त करायी गयी आपत्तियों पर नगर निगम द्वारा विचार नही किया जायेगा। उक्त उपविधि 2020 का पांडुलेख नगर निगम के लाइसेन्स विभाग में अवलोकनार्थ उपलब्ध है, तथा नगर निगम की वेबसाइट. www.nagarnigamgkp.org पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

28/5/2021

(अविनाश सिंह)
नगर आयुक्त

प्रारूप—गोरखपुर नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की विक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन, नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उप—विधि, 2020

1—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि गोरखपुर नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की विक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन, नियन्त्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उप—विधि, 2020, कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, गोरखपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2—तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिये योग्यता—

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, गोरखपुर से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत दुकान हो सकती है।

3—वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क—

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रू0 200.00 स्थायी, दुकानों हेतु रू0 1,000.00 एवं थोक दुकानदारों के लिये रू0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये रू0 5,000.00 फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिये रू0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों के लिये रू0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण के समय ही देय होगी।

4–तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन–

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा–

(1) शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज की परिधि में कोई तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जायेगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता कोटपा की धारा 6–अ के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करायेगा और न तो किसी नाबालिग को बिक्री की जायेगी।

(4) दुकानों पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5–नियम एवं शर्ते–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेन्स के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार निर्गत लाइसेन्स के आधार पर बिक्री सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जारी किया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिये ही मान्य होगा।

(5) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में परिवर्तन, संशोधन अथवा जारी दिशा–निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम, गोरखपुर द्वारा लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस के बगैर कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रू0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रू0 5,000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रू0 5,000.00 सामग्री जब्त व कोटपा के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही विक्री करेगा।

6–पंजीकरण प्रक्रिया–

(1) नगर निगम, गोरखपुर में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी, नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, गोरखपुर के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या–22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जाचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगें।

(5) प्रमाण–पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण–पत्र को दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7–नामित अधिकारी–

नगर निगम, गोरखपुर में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी, नोडल अधिकारी के

रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य–दिवस में अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करेंगे। जो नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

8–वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि–

पंजीकरण प्रणाली पर नगर निगम, गोरखपुर के माननीय सदन में प्रेषित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

(स०न०अ०) 24/03/2020

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर।